भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3096

दिनांक 07.08.2025 को उत्तर के लिए नियत

**बल्ला निर्माताओं को सहायता**

3096. श्री यूसुफ पठान:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बल्ला निर्माण में लगे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को अपना विलो बगान स्थापित करने के लिए कोई वित्तीय या तकनीकी सहायता प्रदान की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार स्थानीय किसानों को राजसहायता या सुनिश्चित खरीद की पेशकश करके विलो वृक्ष उगाने के लिए प्रोत्साहित करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

**(क) और (ख)**: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के पास केवल बल्ले निर्माण से जुड़े एमएसएमई के लिए अपनी विलो बागान स्थापित करने हेतु कोई विशिष्ट स्कीम नहीं है। तथापि, यह मंत्रालय "सूक्ष्म एवं लघु उद्यम- क्लस्टर विकास कार्यक्रम" नामक स्कीम का कार्यान्वयन करता है, जिसके अंतर्गत जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग स्थित क्रिकेट बल्ला निर्माण उद्योग क्लस्टर में एक सामान्य सुविधा केंद्र को स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त, एमएसएमई प्रौद्योगिकी विकास केंद्र, मेरठ ने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने बल्ला विनिर्माण सहित खेल सामग्री निर्माण में जुड़े एमएसएमई/प्रशिक्षुओं को कई कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया है।

******